कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 5146 /सहारनपुर(समेकित)/27358/2017, दिनांक, लखनऊ, ~~मई~~ 01/06/, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा 8"/6" व्यास की गैस पाइपलाईन डालने हेतु शिवालिक में 0.136 हे0 संरक्षित वनभूमि व सा0वा0 सहारनपुर में 6.207 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 109 वृक्षों व 116 पोल्स के पातन कुल 6.343 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 109 वृक्षों व 116 पोल्स के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/09/47/2018/एफ.सी./94, दि0 09.05.2018
उ0प्र0 शासन का पत्रांक--भा0स0–72/14–2--2018–800(72)/2018, दिनांक 23.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनायें व अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें व अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, सहारनपुर के पत्रांक–4223/14–10, दिनांक 30.05.2018 द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचनायें एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त पत्र की समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

31/5

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, शिवालिक एवं सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर।
3– मुख्य महाप्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, 200 प्रथम पैरामाउण्ट टूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।